न्यायालय अपर जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी:—उम्मेदी लाल मीना आर.ए.एस.

निगरानी सं. 22/2021

1. प्रेम कुमार पुत्र स्व० श्री हरीराम, जाति जाट, निवासी वार्ड नंबर 02 निवासी धोलीपाल, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

—निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पचायत धोलीपाल, पंचायत समिति हनुमानगढ़ जरिये सरपंच ग्राम पंचायत धोलीपाल, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. सरपच ग्राम पंचायत धोलीपाल, पंचायत समिति हनुमानगढ़, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत धोलीपाल, पंचायत समिति हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।

—अप्रार्थीगण

निगरानी प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम सन् 1994 विरूद्ध प्रस्ताव सख्या 2 दिनांक 20.10.2022 ग्राम पंचायत धोलीपाल जिसकी रूह से प्रार्थी के निलामी में क्रय शुदा भूखण्ड संख्या डी—45 व डी—46 प्रत्येक साईज 30 गुणा, 60 फीट जो जरिये पट्टा दिनांक 19.04.1988 क्रय शुदा है, को उक्त प्रस्ताव संख्या 2 के अन्तर्गत दिनाक 25.11.2022 को सार्वजनिक निलामी में विक्रय करने का प्रस्ताव पारित किया गया है, बमुराद अपास्त किये जाने उक्त प्रस्ताव व रोके जाने निलामी एवं स्वीकार किये जाने निगरानी प्रार्थना—पत्र।

उपस्थितः— 1. श्री लालचन्द वर्मा अभिभाषक निगरानीकर्ता।
2. श्री प्रेम कुमार अभिभाषक अप्रार्थी सं0 01 ता 3 ।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज०)

—:निर्णय:—

दिनांक:—22.01.2026

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/निगरानीदार की ओर से इस प्रकार है कि आबादी ग्राम पंचायत धोलीपाल में प्रार्थी ने भूखण्ड संख्या डी—45 व डी—46 प्रत्येक साईज 30 गुणा 60 फीट ग्राम पंचायत धोलीपाल के प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 20.03.1988 के अन्तर्गत आयोजित निलामी में 700/— रूपया में उच्चतम बोली पर खरीद किये थे तथा यह निलामी ग्राम पंचायत धोलीपाल के आदेश संख्या 5 दिनांक 19.04.1988 के अन्तर्गत अनुमोदित होकर प्रार्थी के पक्ष में तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत धोलीपाल ने पट्टा विलेख दिनांक 19.04.1988 को जारी फरमाया था। अप्रार्थीगण ने राजस्थान पत्रिका दिनांक 19.11.2022 में एक निलामी सूचना प्रकाशित की है जिसका क्रमांक 75 दिनांक 07.11.2022 है। इस निलामी सूचना में अप्रार्थीगण की पंचायत बैठक दिनांक 20.10.2022 के अन्तर्गत पारित प्रस्ताव संख्या 2 के अन्तर्गत अन्य भूखण्डों के अलावा क्रमांक 3 पर "नई आबादी नजदीक पशु चिकित्सालय में 30 गुणा 60 के दो भूखण्ड डी 45 व डी 46" की निलामी दिनांक 25.11.2022 को किये जाने का उल्लेख किया है। प्रार्थी को इस निलामी सूचना की जानकारी दिनांक 19.11.2022 को दैनिक समाचार पत्रिका राजस्थान पत्रिका से हुई है। प्रार्थी ने उक्त निलामी सूचना की जानकारी होते ही दिनांक 19.11.2022 को ही अप्रार्थी सख्या 1 व 2 के समक्ष उक्त निलामी सूचना में अंकित

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

प्रस्ताव संख्या 2 दिनाक 20.10.2022 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदत्त किये जाने हेतु व यह दोनो भूखण्ड जरिये पट्टा विलेख दिनांक 19.04.1988 प्रार्थी द्वारा क्रय किये जाने व इन भूखण्डों पर प्रार्थी का आधिपत्य व धारण होने की लिखित में जरिये प्रार्थना पत्र सूचना दी। लेकिन अप्रार्थी संख्या 2 प्रस्ताव संख्या 2 दिनाक 20.10.2022 की प्रमाणित प्रतिलिपि देने से इन्कार कर दिया तथा धमकी दी कि यह भूखण्ड तो दिनाक 25.11.2022 को निलाम कर दिये जायेंगे, तुझे जहा फिरना है, फिर लो। अप्रार्थीगण ने बावजूद निवेदन के उक्त आक्षेपित प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 20.10.2022 की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं करवाई है तथा येनकेन प्रकारेण प्रार्थी के निलामी में खरीद शुदा व पट्टा शुदा भूखण्ड संख्या डी 45 व डी 46 को आनन–फानन में दिनांक 25.11.2022 को निलाम करने की योजना बनाई जा रही है। अप्रार्थीगण द्वारा पारित आक्षेपित प्रस्ताव संख्या 2 दिनाक 20.10.2022 कतई गलत, अनुचित एवं मनमानापूर्ण है, जो पुनरीक्षण योग्य है तथा अपास्त होने योग्य है। अप्रार्थीगण ने इस प्रस्ताव की प्रमाणित प्रतिलिपि बावजूद प्रार्थना पत्र के प्रार्थी को उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए यह प्रस्ताव रेस्पोडेट से प्रस्तुत करवाया जाना आवश्यक है तथा यह प्रस्ताव पारित किये जाने का उल्लेख निलामी सूचना दिनांक 07.11.2022 में अंकित है। आक्षेपित प्रस्ताव संख्या 2 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को पूर्व में विक्रय किये गये जा चुके भूखण्ड संख्या डी 45 व डी 46 को पुनः विक्रय अथवा निलाम करने का अधिकार नहीं है। प्रश्नगत भूखण्ड संख्या डी 45 व डी 46 पर प्रार्थी का सन् 1988 से ही आधिपत्य व धारण चला आ रहा है। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने बिना कोई जांच किये व अपने अभिलेख को नजरअंदाज कर आक्षेपित प्रस्ताव संख्या 2 पारित किया। प्रश्नगत भूखण्ड संख्या डी 45 व डी 46 अप्रार्थीगण ने सार्वजनिक नीलामी में सन् 1988 में प्रार्थी को विक्रय किया तथा प्रार्थी ने उच्चतम बोली में यह भूखण्ड क्रय किये। अप्रार्थीगण ने इस भूखण्ड का पट्टा विलेख दिनांक 19.04.1988 को प्रार्थी के पक्ष में जारी किया है तथा इस निलामी राशि को जरिये रसीद संख्या 37 दिनांक 19.04.1988 पंचायत कोष में जमा करवाया है। तभी से यह भूखण्ड प्रार्थी के आधिपत्य व धारण में है। अप्रार्थीगण के वर्तमान सरपंच की प्रार्थी के परिवार के साथ राजनैतिक रंजिश है तथा उसने प्रार्थी को सदोष हानि पहुंचाने के लिये कथित प्रस्ताव में उक्त दोनो भूखण्डों को पुनः विक्रय करने का प्रस्ताव पारित किया है। वस्तुतः अप्रार्थीगण कुछ असामाजिक तत्वों की शै पर प्रार्थी के उक्त भूखण्डों को हड़पना चाहते है तथा इसी उद्देश्य हेतु यह प्रस्ताव मनमाना तरीका पर पारित किया है। प्रार्थी के पक्ष में पट्टा विलेख की मौजूदगी में अप्रार्थीगण को प्रार्थी के स्वामित्व शुदा भूखण्ड को पुनः विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थीगण आपराधिक मनःस्थिति लिये हुये है तथा इसी कारण उन्होंने उक्त प्रस्ताव संख्या 2 की प्रतिलिपि उपलब्ध न करवाकर अपने पदीय कर्तव्यों की अवहेलना की है। कथित प्रस्ताव दिनांक 20.10.2022 को लगभग 1 माह बाद दैनिक समाचार पत्रिका में प्रकाशित किया जाना भी उनके मनमानापूर्ण एवं छुपे तौर पर की जा रही कार्यवाही व जल्दबाजी में 6 दिन बाद निलामी किये जाने के कृत्य को संदिग्ध होना प्रकट करती है। अतः निगरानी प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि निगरानी प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जावे तथा अप्रार्थीगण द्वारा पारित प्रार्थी प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 20.10.2022 को अपास्त फरमाया जावे।

निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीय की तलबी की गयी। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित आये।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। निगरानीकर्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये की अप्रार्थीगण द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 20.10.2022 को अपास्त फरमाया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी सं0 01 ने अपनी बहस में कथन किये कि ग्राम पंचायत के पास उक्त भूखण्ड का रिकार्ड उपलब्ध नही है। ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच द्वारा रिकार्ड के अभाव में उक्त भूखण्ड हेतू निलामी की प्रकिया अपनाई गई थी। पूर्व सरपंच फौत हो चुके है। निगरानीकर्ता ने मूल पट्टा एवं रसीद उक्त प्लॉट की निलाम बाबत पेश किया है उक्त पर ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नही है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जावें।

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया और उद्घृत न्यायिक नजीरों पर मनन किया गया।

1. ग्राम पंचायत धौलीपाल पंचायत समिति हनुमानगढ के प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 20.10.2022 एवं आदेश कमांक 75 दिनांक 07.11.2022 में निगराकर्ता को सुनवाई हेतु नोटिस जारी नही किया गया है। जिससे सिद्ध है निगरानीकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया गया, इस कारण विधि द्वारा प्रतिपादित नैसर्गिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तो की पालना नही होने के कारण प्रश्नगत आदेश विधिसम्मत नहीं है।
2. प्रश्नगत भूखण्ड डी/45 एवं डी/46 के सम्बध में अभिभाषक निगरानीकर्ता द्वारा ग्राम पंचायत धौलीपाल के प्रस्ताव संख्या 02 आदेश संख्या 05 दिनांक 19.04.1988 से जारी मूल पट्टा एवं मूल रसीद संख्या 37 दिनांक 19.04.1988 पेश किये है, जिनके अनुसार प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड ग्राम पंचायत धौलीपाल से निलामी में 700/– रूपये अदा कर क्रय किया है।

अतः निगरानीकर्ता की निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार की जाकर प्रश्नगत आदेश वाके ग्राम पंचायत धोलीपाल पंचायत समिति हनुमानगढ़ द्वारा जारी प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 20.10.2022 एवं आदेश कमांक 75 दिनांक 07.11.2022 भूखण्ड संख्या डी/45–डी/46 की हद तक निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

(उम्मेदी लाल मीना)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़